पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

193

॥ श्री ॥

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES COURT FEE 5 रु. भारत पाँच रुपये

माननीय म.प्र. राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

इन्होंके न्यायालय में

R - 3289 - II/13

निगरानी प्र. क्रं. /2013

जनकल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
पुराना पता 84 व 91 व नया पता 129, इमली बाजार
इन्दौर (म.प्र.) पं.क्र. डी.आर./आय.डी.आर.
262 दिनांक 23.8.80 द्वारा प्रबंधक --- प्रार्थी

विरूद्ध

सुरेश पिता सुखराम, उम्र व व्यवसाय- नामालूम,
निवासी- ग्राम पिपल्या कुमार, तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) --- प्रतिप्रार्थी

निगरानी याचिका- म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत:-

माननीय महोदय,

श्री बिहारीसिंह, तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला इन्दौर के विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती प्रकरण क्रमांक 57/ए-6-ए/12-13 में दि. 10.5.13 को प्रार्थी संस्था के विरूद्ध व प्रतिप्रार्थी के पक्ष में पारित अवैध प्रश्नाधीन आदेश, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दि. 30.5.13 को प्रस्तुति उपरांत उसकी प्रमाणित प्रतिलिपी दि. 12.6.2013 को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय की ओर से प्रार्थी संस्था के लिये प्रदान की गयी, की प्राप्ति उपरांत उससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी संस्था की ओर से यह निगरानी याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है ।

सुधीर नारायण लोढ
उच्च न्यायालय अधिवक्ता
78, [illegible] मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3289-दो/2013 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री टी0टी0गुप्ता उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री पी0जी0पाठक अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	